

कार्यालय निदेशालय सैनिक कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून ।

पत्र संख्या-2001/सै.क.-2/निविदा/शौर्य दिवस

दिनांक 30 मई 2019

सार्वजनिक निविदा आमंत्रण सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निदेशालय सैनिक कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा वर्ष 2019 में दिनांक 26 जुलाई 'शौर्य दिवस' एवं 16 दिसम्बर "विजय दिवस" के अवसर पर गाँधी पार्क में माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि समारोह तथा भोजन का आयोजन किया जाना है। जिसमें मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हैं।
2. इन कार्यक्रमों हेतु टैन्ट, खाने व वाहनों आदि की व्यवस्था हेतु इच्छुक निविदाताओं से 20 जून 2019 प्रातः 11:00 बजे तक सील बन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिन दिनांक 20 जून 19 सांय 3.00 बजे अपराह्न निदेशालय में गठित समिति द्वारा खोली जायेगी।
3. निविदा हेतु नियम/शर्तें निदेशालय की वेबसाइट www.sainikkalyan.org पर उपलब्ध है। निविदा हेतु आवेदन पत्र एवं प्रारूप निदेशालय से किसी भी कार्य दिवस को निर्धारित शुल्क देकर दि0 19 जून 2019 सांय 4.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु निदेशालय के दूरभाष -2741481 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

उपनिदेशक सैनिक कल्याण देहरादून

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास

15 सी कालीदास मार्ग हाथीबडकला देहरादून

दूरभाष-0135-2743773, 2741481

(दिनांक 31 मई 2019 के समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा सूचना के संदर्भ में)

निविदा सूचना

निदेशालय सैनिक कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा वर्ष 2019 में दिनांक 26 जुलाई 'शौर्य दिवस' एवं 16 दिसम्बर "विजय दिवस " हेतु निविदा हेतु नियम एवं शर्तें निम्नवत् हैं:-

1. यह कि निदेशालय सैनिक कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा वर्ष 2019 में दिनांक 26 जुलाई 'शौर्य दिवस' एवं 16 दिसम्बर "विजय दिवस " के अवसर पर गाँधी पार्क में माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि समारोह तथा भोजन का आयोजन किया जाना है। जिसमें मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हैं।
2. यह कि कार्यक्रमों हेतु टैन्ट, खाने व वाहनों आदि की व्यवस्था हेतु इच्छुक निविदाताओं से 20 जून 2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे तक सील बन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे निदेशालय में गठित समिति द्वारा खोली जायेगी।
3. यह कि निविदा, निर्धारित प्रपत्रों में ही स्वीकार की जायेगी। अपूर्ण एवं अस्पष्ट प्रपत्र तथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न न होने पर निविदा अमान्य होगा।
4. यह कि निविदादाताओं द्वारा निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न नियम व शर्तों के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
5. यह कि निविदा के साथ प्रपत्र का व्यापार कर पंजीकरण प्रमाण पत्र/टिन न0/जीएसटी न0 आयकर विभाग का पै न संलग्न करना आवश्यक है।
6. यह कि निर्धारित निविदा प्रपत्र के साथ रू0 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) की बयाना धनराशि (Earnest Money) का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास के नाम पर देय होगा, जो कि किसी भी राष्ट्रीयकृत या शेडयूल्ड बैंक देहरादून के द्वारा देय हो जिसे कार्यालय में निविदादाता को जमा करना अनिवार्य होगा।
7. यह कि बिना बयाना राशि (Earnest Money) के निविदा फार्म स्वतः अवैध माना जायेगा।
8. यह कि सील बन्द निविदा प्रपत्र निदेशालय की रक्षित निविदा पेटी में दिनांक 20 जून 2019 को प्रातः 1100 बजे तक डाली जा सकती है और निविदा पेटी उपस्थित निविदा दाताओं के सम्मुख प्रातः 1105 बजे सील कर दी जायेगी। प्राप्त निविदायें उसी दिन दिनांक 20 जून 2019 को अपराह्न 3:00 बजे निदेशालय सैनिक कल्याण के कार्यालय में नामित समिति द्वारा खोली जायेगी। इच्छुक निविदादाता स्वयं अथवा उसका एक प्रतिनिधि निविदा खुलने के समय उपस्थित हो सकते हैं।

9. यह कि निविदा सील बन्द होनी चाहिए तथा लिफाफे के ऊपर 26 जुलाई शौर्य दिवस एवं 16 दिसम्बर विजय दिवस हेतु टैन्ट/खाने/वाहनों की निविदा मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिये।
10. स्वीकृत निविदादाता का किसी भी संस्था में काली सूची में दर्ज न होने का नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र कार्यादेश जारी होने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
11. यह कि निविदादाता की निविदा स्वीकार होने की स्थिति में उनकी निविदा के साथ संलग्न धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जमा कर लिया जायेगा। असफल निविदादाताओं को उनके बैंक ड्राफ्ट निविदा तय होने के पश्चात 15 दिनों के अन्दर वापिस लौटा दिये जायेंगे। इस धरोहर धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
12. यह कि सफल निविदादाता की निविदा स्वीकृत हो जाने पर उनके द्वारा जमा की गयी धरोहर (बयाना) धनराशि (Earnest Money) को जमानत राशि (Security Deposit) के रूप में समायोजित किया जायेगा। यह जमानत धनराशि निविदादाता को कार्य संतोष जनक रूप से समाप्त होने पर एक माँह के अन्दर वापस कर दी जायेगी। यदि कार्य के दौरान निविदादाता द्वारा नियमों का उल्लंघन अथवा कार्य करने से मना किया जाता है तो जमानत राशि (Security Deposit) जब्त कर ली जायेगी। यदि निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृति के बाद नियम शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो धरोहर धनराशि (Earnest Money) जब्त कर दी जायेगी तथा निविदा निरस्त मानी जायेगी जिस पर निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
13. यह कि आमंत्रित निविदाओं हेतु सामग्री की निविदा दर कर/जी.एस.टी. सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा अपूर्ण समझते हुये निरस्त कर दी जायेगी।
14. यह कि स्वीकृत निविदादाता को अपने व्यय पर कार्य करना होगा। कार्यपूर्ण होने के बाद बिल दो प्रतियों में संलग्न करना अनिवार्य है। बजट उपलब्ध होने पर ही बिलों का भुगतान किया जायेगा। उक्त भुगतान के लिए फर्म का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना चाहिये। उपरोक्त बीजक पर नियमानुसार आयकर तथा जीएसटी की कटौती की जायेगी। इस पर निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
15. यह कि कार्यक्रम का स्थान एवं प्रारूप उच्च स्तर के अनुमोदन के उपरान्त निर्धारित किया जाता है। अतः स्थान व प्रारूप में परिवर्तन किया जा सकता है।
16. यह कि निविदा कुल न्यूनतम मूल्य पर स्वीकृत की जायेगी।
17. यह कि दरें प्रति इकाई में दी गयी हैं। व्यक्ति तथा सामग्री की संख्या घट-बढ़ सकती है।
18. बिना कारण बताये निविदा की कार्यवाही स्थगित या निरस्त करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा।

19. यह कि निविदादाता तथा निविदादाता के श्रमिकों/कार्मिकों द्वारा कार्यक्रम स्थल अथवा विभाग की किसी भी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाये जाने की स्थिति में उसे ठीक करने का व्यय निविदादाता को वहन करना होगा और यदि निविदादाता के द्वारा उपरोक्त व्यय का वहन नहीं किया जाता है तो निविदादाता के द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि से क्षतिपूर्ति की धनराशि समायोजित की जायेगी। इस पर निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
20. यह कि निविदादाता द्वारा श्रम विभाग द्वारा निर्धारित आयु के अनुसार श्रमिकों/कार्मिकों को कार्य हेतु रखा जायेगा। श्रम कानूनों, नियमों का उल्लंघन होने की दशा में उसका पूरा उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
21. यह कि कार्यक्रम के समापन के पश्चात कार्यक्रम स्थल की सफाई का समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि से क्षतिपूर्ति की धनराशि समायोजित की जायेगी। इस पर निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी
22. यह कि किसी भी प्रकार के विवाद पर समिति का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
23. यह कि सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
24. यह कि निविदादाता को द्वारा दिये गये कार्यादेश एवं स्वीकृत दर के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा तथा उसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
25. यह कि समारोह में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक उत्पादों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
26. यह कि शेष शर्तें अधिप्राप्ति नियमावली –2008 एवं 2017 के अनुसार लागू रहेंगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर :.....

पूरा नाम

पिता का नाम

ग्रामपो0.....

तहसीलजनपद

पिन0दूरभाष

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी शर्तें मेरे द्वारा भली भाँति पढ ली गई हैं और मुझे स्वीकार हैं।

.....
निविदा जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक: 2019

.....
हस्ताक्षर निविदादाता
दिनांक : 2019